न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्र0संख्या–अपील डिक्री/टीए/4223/2004/टोंक

1– महावीर प्रसाद,

2– लालचन्द,

3– धर्मचन्द,

4– विमलचन्द,

5– बाबूलाल,

पुत्रान रतनलाल, जाति महाजन, निवासी ग्राम डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक ।

6– मु0 जानकी बेवा रतनलाल, निवासी ग्राम डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक ।

–अपीलांट्स

बनाम

1– सीताराम पुत्र मदनलाल, जाति दरोगा,

2– रामगोपाल पुत्र श्योबक्ष जाति महाजन,

3– शंकरलाल पुत्र रामगोपाल जाति महाजन,

4– चान्दमल पुत्र रामगोपाल, जाति महाजन,

5– बाबूलाल पुत्र रामगोपाल, जाति महाजन,

6– मुन्नालाल पुत्र रामगोपाल, जाति महाजन,

7– किशोर पुत्र रामगोपाल, जाति महाजन,

8– नवन किशोर पुत्र रामगोपाल, जाति महाजन,

सभी निवासी ग्राम डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

9– ग्राम पंचायत डिग्गी, तहसील मालपुरा, जिला टोंक ।

रेस्पोर्डेंट्स

खण्डपीठ

श्री सी0आर0 मीणा, सदस्य

श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण ।

श्री अजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ।

निर्णय

दिनांकः–05.05.2022

अपीलांटस द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा अपील संख्या 30/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी–अपीलांट ने एक राजस्व वाद बाबत् दखलयाबी एवं घोषणा बाबत् बैचान करार किये जाने बेअसर एवं प्रभावशून्य की डिक्री विरूद्ध रेस्पोडेंटस एवं बहक अपीलांट जारी करने हेतु विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में आराजी खसरा नंबर 1564 रकबा 18 बिस्वा स्थित ग्राम डिग्गी में से मुतनाजा भूखण्ड उत्तर–दक्षिण साढे बाईस फीट एवं पूर्व–पश्चिम 37 फीट से बेदखल किये जाने हेतु तथा ग्राम पंचायत के द्वारा रेस्पो0 के हक में वाद के संलग्न दिखाये गये नक्शे को ग्राम

पंचायत द्वारा किये गये विक्रय के आधार पर बेअसर एवं प्रभावशून्य घोषित करने हेतु प्रस्तुत किया । बाद तामील प्रतिवादी ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया । अभिकथनों के आधार पर 10 तनकियात कायम की गई। तत्पश्चात प्रतिवादी वाद में अनुपस्थित रहे जिस कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 5.7. 2000 द्वारा वादी–अपीलांट का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री कर दिया । रेस्पो0 ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.7.2000 के विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होनें अपने निर्णय दिनांक 2.8.2004 द्वारा रेस्पो0 की अपील को अंशतः स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः निर्णय हेतु उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा को प्रतिप्रेषित करने का आदेश प्रदान किया । विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है ।

3– हमनें उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने महज दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत् तनकीवार निर्णय पारित करने के लिए वाद को पुनः निर्णय हेतु लौटाया है जबकि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा का निर्णय तनकीवार है । प्रतिवादी–रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है । राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने प्रतिवादी–रेस्पो0 को केवल सुनने के लिए प्रकरण उपखण्ड

अधिकारी, मालपुरा को प्रतिप्रेषित किया है जबकि स्वंय राजस्व अपील प्राधिकारी रेस्पो0 को पूर्व में सुन चके थे, उनको स्वंय को अपना अंतिम निर्णय आदेश 41 नियम 24 जा0दी0 को ध्यान में रखते हुए पारित करना चाहिये था । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय में जो फाईण्डिग दी है उसके उपरांत उपखण्ड अधिकारी को दावे में निर्णय के लिए कुछ नहीं छोड़ा है । अपीलीय न्यायालय ने ना केवल प्लीडिंग के परे जाकर निर्णय पारित किया है बल्कि जो रेस्पो0 ने अपना जवाबदावा में ऐतराज नहीं उठाया उस बाबत् भी निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध है । यदि परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि पाते या परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री आदेश 20 नियम 4 (2) या आदेश 20 नियम 3 जा0दी0 के अनुसार नहीं पाते तो प्रकरण रिमाण्ड कर सकते थे केवल मात्र दोनों पक्षों की बहस सुनकर नये सिरे से प्रकरण को निर्णित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड नहीं किया जा सकता है । अपीलीय न्यायालय ने इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 2.8.2004 निरस्त किया जावे ।

5– इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने अपनी बहस में कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक का निर्णय दिनांक 2.8.2004 विधिसम्मत् है । परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 5.7.2002 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट रतनलाल ने दावा उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में पेश किया था जिसमें निवेदन किया था कि खसरा ंनबर 1564 रकबा 18 बिस्वा रतनलाल की खातेदारी की जमीन है । खसरा नंबर 1567 के पास में दो खसरा नंबर 1461 आबादी भूमि है, जो ग्राम पंचायत के नाम है तथा खसरा नंबर

1460 गै0मु0सड़क है । विवादित भूमि के चारों और पक्की दीवार कदीमी बनी हुई है । आबादी भूमि को दिनांक 28.5.1972 को अन्य व्यक्तियों को ग्राम पंचायत ने पट्टे काटकर दे दिय जिसकी नीलामी ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 10.7.1972 से दिनांक 11.7.1972 तक हुई । दिनांक 28.5.1972 को नीलामी आदेश हुए । अंतिम बोली ग्राम पंचायत ने सीताराम के नाम छोड़ी थी। अपीलांटस का यह कथन है कि खसरा ंनबर 1461 खसरा नंबर 1564 का भाग है । इस कारण नीलामी को प्रभावशून्य घोषित किया जावे । अपीलांटस ने इस नीलामी के बाबत् जिला कलक्टर, टोंक के न्यायालय में अपील पेश की थी वह अपील खारिज हो चुकी है । जिला कलक्टर, टोंक के निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील पेश की गई जो भी खारिज हो चुकी है । ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टो को आज तक सरकार द्वारा निरस्त नहीं किया गया है और ना ही रेस्पो0 द्वारा इन्हें निरस्त करवाया गया है । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री का आधर भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 16.10.1972 को माना है । इसके अतिरिक्त तनकी संख्या 6, 7, 8 व 9 बाबत् कोई निर्णय पारित नहीं किया है । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इन्हीं समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील आंशिक स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा का निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 1983 पेज 676, आर0आर0डी0 1988 पेज 170, 312 एवं 610 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

6– हमनें उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकॉर्ड का अध्ययन एवं मूल्यांकन किया ।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांट रतनलाल ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के न्यायालय में वाद खसरा नंबर 1564 रकबा 18 बिस्वा बाबत् पेश कर कथन किया कि उक्त आराजी वादी की खातेदारी की है । खसरा नंबर 1564 के पास खसरा नंबर 1460 गै0मु0 सड़क एवं खसरा नंबर 1461 अवस्थित है । खसरा संख्या 1461 खसरा संख्या 1564 का भाग है किन्तु ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि की दिनांक 11.7.1972 को नीलाम कर दी। उक्त नीलामी में सीताराम पुत्र मुन्नादेवी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.4.1974 को खरीद किया । उक्त भूमि के विक्रय पत्र को प्रभावशून्य व बेअसर घोषित करने का निवेदन किया। उक्त वाद दिनांक 2.4.1983 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हुआ जिसके विरूद्ध वादी रतनलाल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने वाद रेस्टोर कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया । उक्त वाद रिमाण्ड से प्राप्त होने के उपरांत परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश पारित कर निर्णय व डिक्री दिनांक 5.7.2000 को वादीगण/अपीलांटस का वाद डिक्री किया है । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 26.2.1998 से लगातार दिनांक 26.4.2000 तक चलती रही तत्पश्चात् दिनांक 16.5.2000 को उपखण्ड न्यायालय ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 5.7.2000 को पारित की है । यही नहीं

प्रतिवादी संख्या 6, 7 व 8 की तलबी की जानी थी जो भी नही की गई है । उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा कार्यवाही से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिला है । विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा को उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

8– उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है । विद्वान भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2004 यथावत् रखा जाता है ।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर हो।

10– निर्णय सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा) **(सी0आर0 मीणा)**

सदस्य **सदस्य**